फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

श्योलाल बनाम गंगासिंह वगैरह

मुकदमा नम्बर :– 126/220/2001

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	27/3/24	पक्षकारान उप०। पत्रावली वास्ते अवलोकनार्थ एवं आदेश दिनांक 5/5/24 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूं (जयपुर)	
	5/5/24	पक्षकारान उप०। प्रार्थनापत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थनापत्र O7 R11 CPC स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूं (जयपुर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:47:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

ग्रामीण)

विशेष विवरण

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फा0ट्रै0/मुख्यालय) चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री रतन कोर (R.A.S.)

वाद संख्या :–126/220/2001

श्योनाथ **बनाम** **गंगासिहं वगै0**

(वाद–पत्र)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी.

आदेश

दिनांकः–04.04.2024

प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 6 ता 9 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का इस आशय का पेश किया गया है कि उक्त उनवानी प्रकरण में वादी–अप्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर विधिक सिद्वान्तों के विपरित उक्त वाद पत्र पैश किया हैं, जबकि वास्तविकता में वादी–अप्रार्थी एडवर्स पजेशन के आधार पर विवादित भूमि की घोषणा करवाने का कतई अधिकारी नहीं है। क्योंकि विवादित भूमि जिसके साबिक खसरा नम्बर 186 से 193 कुल किता 6 का कुल रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा जिसके हाल बने खसरा नम्बर 696, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705 कुल किता 8 का कुल रकबा 3.00 हैक्टर भूमि शुरू से ही मिन प्रतिवादीगण के पुर्वज पूण्यार्थ जगन्नाथ, रामनाथ पिता लादू के नाम से चली आ रही थी तथा उसके पश्चात् विवादित भूमि शंकरदान वल्द चारणदान के नाम रही तथा उक्त राजस्व रिकार्ड सम्वत् 2010 से लेकर 2057 तक बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज एवं अंकित रहे। प्रार्थीगण ने विधिक अधिकरों स्वरूप आराजी जैर कृषि भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर क्रय की हैं, तत्कालीन खातेदारान गंगा सिंह व सावंत सिंह पुत्रान स्व. गोविन्द सिहं पौत्र स्व. शंकरदान सिहं जाति चारण निवासी ग्राम हस्तेडा तहसील चौमूॅ जिला जयपुर द्वारा दिनांक 27–04–2005 को मिन प्रतिवादीगण शैतान सिंह पुत्र हनुमान सिंह, जमनलाल कटारिया पुत्र चन्दालाल कटारिया, बन्शीधर यादव पुत्र श्यामलाल यादव, लालचन्द शर्मा पुत्र श्योबक्सराम जाति बागडा को विक्रय कर दिया तथा विक्रय प्रतिफल राशि 7,51,000/–रूपयें जरिये स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा खातीपुरा जयपुर द्वारा जारी चैको के माध्यम से भुगतान राशि प्राप्त कर ली गई। अर्थात् वादग्रस्त भूमि मिन प्रतिवादीगण द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की गई हैं, जिनको सुनने एवं निर्णित करने का एकमात्र विधिक क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय को हैं। वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रार्थीगण के हक में हुये विक्रय पत्र को चुनौती दी गई हैं, जबकि विक्रय पत्र को शुन्य घोषित करने का क्षैत्राधिकार एकमात्र सिविल न्यायालय को प्राप्त हैं। वादी श्योनाथ पुत्र लादू मीणा ने माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष मुलतः वाद प्रतिवादी संख्या 3 [illegible] जाति मुसलमान निवासी ग्राम हस्तेडा तहसील चौमूॅ जिला जयपुर के पिता [illegible] नीलगर के तथाकथित इकरारनामा दिनांक 14.10.1962 के आधार पर [illegible] न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया हैं, प्रश्नगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 दीन मौहम्मद पुत्र मामला अथवा उसके पिता मामला आज दिवस तक [illegible] रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार नहीं रहे हैं। ना ही उपरोक्त व्यक्तियों को मिन प्रतिवादीगण की भूमि बाबत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:47:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

कोई इकरारनामा करने का विधिक अधिकार प्राप्त हैं, तथाकथित इकरारनामा के आधार पर माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष चाहा गया अनुतोष माननीय न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार का नही होकर सिविल न्यायालय के क्षैत्राधिकार का हैं, अर्थात् माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष इकरारनामा के आधार पर प्रस्तुत वाद राजस्व न्यायालय के समात का नही होकर सिविल न्यायालय के क्षैत्राधिकार का हैं, इसलिए माननीय न्यायालय हाजा को उक्त वाद सुनने व निर्णित करने का कोई विधिक क्षैत्राधिकार प्राप्त नहीं हैं। क्षैत्राधिकार के अभाव में प्रश्नगत प्रकरण बार्ड बाई लॉ होने के कारण प्रारम्भिक स्तर पर ही पोषणीय नही होने के कारण खारीज निरस्तनीय है। वाद पत्र एडवर्स पजेशन के आधार पर प्रस्तुत किया गया हैं, विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों से यह स्पष्ट हैं कि एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त नही किये जा सकते हैं। इसलिए भी प्रश्न गत वाद खारीज किये जाने योग्य है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 के विरूध कोई कॉज ऑफ एक्शन (बिनाय दावा) उत्पन्न नही होना अंकित नही किया हैं, बिना वाद कारण के अभाव में वाद प्रारम्भिक स्तर पर ही पोषणीय नही होने के कारण काबिल खारीज निरस्तनीय हैं। माननीय उच्च न्यायालय व माननीय सुप्रिम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों के आधार पर एडवर्स पजेशन की थ्योरी को पूर्णतया खत्म किया जा चूका है। ऐसी परिस्थिति में वादीगण का वाद पत्र विधिक प्रावधानों के विपरित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। इस कारण वादीगण का वाद पत्र बिना वाद कारण के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है।साथ ही न्यायिक दृष्टान्त CCC 2012(2) Page 846 (P&H), CCC 2012(3) Page 223 (A.P), CCC 2022(1) Page 462 (Kerala), CCC 2022(1) Page 563 (Rajasthan), CCC 2021(4) Page 804 (SC), RRT 2011(2) Page 721 (RRB Ajmer), RBJ 2020 Page 666 ((Rajasthan), CCC 2012(2) Page 248 (Delhi), RBJ 2002 Page 639 (RRB Ajmer), CCC 2002 (2) Page 433 (P&H), CCC 2009 Page 702 (Kerala DB), पेश किये गये।

अप्रार्थी/वादीगण की ओर जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण ने वाद पत्र सम्पूर्ण सही तथ्यों के आधार पर व विधिवत सिद्वान्तों के आधार पर वास्तविक तथ्यों के आधार पर मान्य न्यायालय के समक्ष वाद पत्र सन् 2001 में पेश किया था, वादीगण ने वाद पत्र मात्र मामला कोम मनियार सा–हस्तेडा का कब्जा अधिकार चला आ रहा था, जिस पर उक्त भूमियों के बाबत एक इकरारनामा 1/–रूपये के स्टाम्प पर मिति बैसाख शुक्ला 9 शनिवार सम्वत् 2016 दिनांक 16.05.1959 को 1– शंकर दान पुत्र मुतबना चावडदान जाति चारण सा हस्तेडा, 2– गोविन्द सिहं पुत्र शंकरदान कौम चारण सा–हस्तेडा जो कि इकरारनामें में प्रथम पक्षगण के नाम से हैं, 1– दीन मोहम्मद पुत्र मामला कौम मनियार सा–हस्तेडा जो कि इकरारनामें में द्वितीय पक्ष के नाम से है, 1– इकरारनामें के मद नम्बर 1 में लिखी इबारत भूमि ग्राम हस्तेडा में अलमशूर कोठी चारनावाली गांव से पूर्व की ओर हैं, वह प्रथम पक्षो के खातेदारी में है और खुद काश्त हैं। खसरा नम्बर 186, 187, 188, 189, 191 कुल किता 6 का रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा हैं। उक्त भूमि प्रथम पक्षों द्वारा 150/– रूपये में द्वितीय पक्ष को दे दी गई है। जिसका लगान खातेदारी जो सरकार लेगी वह द्वितीय पक्ष अदा करेगा, प्रथम पक्षों की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। 150/– [illegible] नकद द्वितीय पक्ष ने पा लिया, अब कुछ बाकी नहीं हैं। कब्जा दे दिया [illegible] व इनके जायन्दा रिश्तेदार हिस्सेदारान का [illegible] इकरारनामें की प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को पुर्व से जानकारी रही है। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता गोविन्द सिहं पुत्र शंकर दान व शंकर दान पुत्र मु[illegible]ना चावडदान द्वारा अपने सम्पूर्ण अधिकार जरिये इकरारनामें के दीन मोहम्मद मनियार के हक में सम्वत् 2016 दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:47:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक (फास्ट ट्रेक) (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

16.05.1959 को त्याग कर दीन मोहम्मद के हक में छोड दिये थे तथा दीन मोहम्मद ने अपने सम्पुर्ण अधिकार वादी श्योनाथ के हक में त्याग दिये थे। इस कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के जमाबन्दी संवत् 2058 में श्रीमान् उप-खण्ड अधिकारी आमेर के निर्णय दिनांक 10.05.2001 के अनुसार खसरा नम्बर 987 रकबा 0.54 हैक्टेयर की खातेदारी कालूराम पुत्र बालूराम कुमावत के नाम अंकन हुआ तथा खसरा नम्बर 696 व 698 से 705 तक की भूमि का गंगासिह, सांवल सिहं पुत्रान गोविन्द सिंह पुत्र शंकरदान चारण हस्तेडा के नाम अंकन होने पर वादीगण को जानकारी होने पर वादीगण ने वाद पत्र पेश किया था, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने विवादित भूमि को बिना कब्जा व बिना किसी अधिकार के फर्जी तरीके से वादीगण को नाजायज नुकसान पहूचाने की नियत से भू-माफिया गिरोह के बाहरी अजनबी क्रेता प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 9 के हक में बिना कब्जा व बिना प्रतिफल के एक बेनामी विक्रय पत्र दिनांक 27.04.2005 को करवाया गया हैं जो विक्रय पत्र वादीगण के हक अधिकारों के प्रति प्रारम्भ से ही प्रभावशुन्य बेअसर हैं, वादीगण को खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का व वाद पत्र की सुनवाई का क्षैत्राधिकार प्राप्त है। उक्त विक्रय पत्र दोराने वाद करवाया गया है। जो वादीगण के अधिकारो के प्रति नल एण्ड वॉईड है। उक्त प्रार्थना पत्र वाद को देरीना करने की गरज से पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र सही उज्र नही उठाये तथा कानूनन उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी की परिधी में नहीं आता है। उक्त प्रार्थना पत्र जवाब देही से बचने एवं साक्ष्य से बचने हेतु पेश किया गया है। साथ ही न्यायिक दृष्टान्त PYarelal V/S Shubhendra Pilania and other SC 2015, Vijay singh and other V/S Buddha singh and other Raj. H.C. 2012, Kamli devi V/S Rampyari and other 2022 Raj. H.C. पेश किये गये।

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। उभयपक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रा0पत्र एवं पत्रावली व न्यायिक दृष्टान्तो का बगौर अवलोकन किया गया। उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादग्रस्त खसरा नम्बर ना तो कभी वादीगण के नाम दर्ज रही ना ही कभी वादीगण के पूर्वज के नाम रही थी तथा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज में इकरार नामा जोकि बिना मुन्द्रांकित पेश किया तथा माननीय सुप्रिम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों के आधार पर एडवर्स पजेशन की थ्योरी को पूर्णतया खत्म किया जा चुका है। साथ ही वादीगण द्वारा विवादग्रस्त भूमि के सन्दर्भ में मूल अनुतोष दिनाक 16.05.1959 को तत्कालीन खातेदार शंकरदान व गोविन्द सिह चारण से दीन मोहम्मद पुत्र मामला मणिहार हस्तेडा से खरिद करना बताया है। व दीन मोहम्मद द्वारा इकरारमाने के आधार पर ही श्योनाथ मीणा को दिनांक 14.10.1962 को बेचान करना व कब्जा व अधिकार बताकर खातेदारी हक अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। जबकि दोराने बहस यह भी तथ्य उदद्त हुआ है कि विवादग्रस्त आराजी भूमि को उसके रिकार्ड खातेदार गोविन्दसिहं व शंकरदान चारण द्वारा दिनांक 27.04.2005 को प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 के हक में रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र तहरीर व तकमील करवा दिया है तथा उक्त विक्रय पत्र की जानकारी के पश्चात् किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनोती नही दी गई है। तथा कानुनन किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त करने का क्षैत्राधिकार [illegible] सिविल न्यायालय को प्राप्त है। इसलिए वादीगण का वाद सीपीसी की धारा आदेश 7 नियम 11 से बाधित है। साथ ही राजस्थन काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के आधार पर भी किसी भी व्यक्ति को इकरारनामें के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। ऐसी स्थिति में सीपीसी के अनुसार इकरारनामें के निस्पादन व विक्रय पत्र की वैधता का क्षैत्राधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:47:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक (फास्ट ट्रैक) (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण द्वारा उक्त वाद पत्र में चाहा गया अनुतोष दिनांक 16.05.1959 व 14.10.1962 के इकरारनामें के आधार पर कानुनन राजस्व न्यायायल द्वारा नही दिया जा सकता है। जब तक सक्षम सिविल न्यायालय से रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त नही करवा लेते तब तक रजिस्टर्ड दस्तावेज की उपस्थिति में राजस्व न्यायायल को वादीगण के वाद पत्र को श्रवण कर निर्णय करने का क्षैत्राधिकार प्राप्त नहीं है। इस कारण वादीगण का वाद बार्ड बाई लॉ होने के कारण वाद पत्र स्वतः ही प्रभाव शून्य होने एवं क्षैत्राधिकार के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है। इस संबंध में प्रार्थी/प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त CCC 2012(2) Page 846 (P&H), CCC 2012(3) Page 223 (A.P), CCC 2022(1) Page 462 (Kerala), CCC 2022(1) Page 563 (Rajasthan), CCC 2021(4) Page 804 (SC), RRT 2011(2) Page 721 (RRB Ajmer), RBJ 2020 Page 666 ((Rajasthan), CCC 2012(2) Page 248 (Delhi), RBJ 2002 Page 639 (RRB Ajmer), CCC 2002 (2) Page 433 (P&H), CCC 2009 Page 702 (Kerala DB), भी चस्पा होते है। ऐसे में प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद क्षैत्राधिकार के अभाव में (Maintainable)पोषणीय नही होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद (Maintainable)पोषणीय नही होने के कारण खारिज जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 04.04.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0/मुख्यालय) चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:47:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0/मु0) ,चौमूँ, जयपुर

–:पीठासीन अधिकारी :– रतन कौर (R.A.S.)

श्योनाथ बनाम गंगासिंह वगै0

वाद बाबत् घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राजात व स्थायी निषेधाज्ञा

वाद संख्या :–126/220/2001

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू श्री रतन कौर आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि–

प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद (Maintainable)पोषणीय नही होने के कारण खारिज जाता है।

निजी .....मबलिक ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 04.04.2024 को जारी किया गया

मोहर

दस्तखत .....

ओहदा.....

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	2	1. स्टाम्प अर्जी दावा	2
2. स्टाम्प वकालतनामा	1	2. स्टाम्प वकालतनामा	
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6. खर्चा इजराय हुक्मनामा	
7.बाबत इजराय हुक्मनामा		7.मुतफरिक	
8.मुतफरिक			
जोड़	3	जोड़	2

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:47:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner